[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 09/**2019** - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 03 दिसंबर, 2019

का.आ.....(अ).- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 112 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इस इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, तीन मास के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा ;

और उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (3) में यह उपबंधित है कि आयुक्त इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के, उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए अभिलेख को स्वःप्रेरणा से से या आयुक्त, राज्य कर या आयुक्त, संघ राज्यक्षेत्र के अनुरोध पर मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा और आदेश द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न से बिंदुओं के अवधारण के लिए उस तारीख से जिसको उक्त आदेश पारित किया गया है, छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन करने का निदेश दे सकेगा ;

और उक्त अधिनियम की धारा 109, माल और सेवा कर अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों न्यायपीठों के गठन का उपबंध करती है ;

और, यथास्थिति, उक्त अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1) या उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट यथानिर्दिष्ट अपील या आवेदन फाइल करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 109 के अधीन अधीन बहुत से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अभी अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन किया जाना है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधाराओं में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उक्त अपील या या आवेदन फाइल नहीं किए जा सकता है और उसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उद्भूत हो रही हैं ;

अब केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम – इस आदेश का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों का दूर करना, करना, नौवां) आदेश, 2019 है ।

2. कठिनाईयों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि,-

(क) उस तारीख से जिसको धारा 112 की उपधारा (1) में "उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को, संसूचना दी जाती है, तीन मास के भीतर ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा" की संगणना के प्रयोजन के लिए , तीन मास की अवधि का प्रारंभ निम्नलिखित तारीखों के उत्तरवर्ती तारीख को माना जाएगा :-

(i) आदेश की संसूचना की तारीख; या

(ii) वह तारीख, जिसको धारा 109 के अधीन अपील अधिकरण के गठन के पश्चात्, यथास्थिति, उसका अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष पद ग्रहण करता है;

(ख) उस तारीख से जिसको धारा 112 की उपधारा (3) में "उक्त आदेश पारित किया गया है, छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन करने का निदेश दे सकेगा" की संगणना के प्रयोजन के लिए, छह मास की अवधि का प्रारंभ निम्नलिखित तारीखों के उत्तरवर्ती तारीख को माना जाएगा :-

(i) आदेश की संसूचना की तारीख ; या

(ii) वह तारीख, जिसको धारा 109 में अपील अधिकरण के गठन के पश्चात्, यथास्थिति, उसका अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है ।

[फा.सं.20/06/07/2019-जीएसटी]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार